[भारत का राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए (असाधारण),
भाग II- खण्ड 3 – उप-खण्ड (ii)]

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांकः 18 मई, 2018

अधिसूचना

एस0 ओ0________सार्वजनिक खरीद (मेक इन इण्डिया को प्राथमिकता) आदेश 2017 के अनुपालन में ऑटोमोबाइल तथा ऑटोमोटिव घटकों को अधिसूचित करने वाला आदेश

संदर्भः- औधोगिक निति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) अधिसूचना सं. पी-45021/2/2017-बी.ई-II, दिनांक 15.6.2017

चूकि सरकार ने आय तथा रोजगार को बढाने के लिए भारत में मेक इन इण्डिया को प्रोत्साहित करने तथा वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्माण तथा उत्पादन को बढावा देने के लिए औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की दिनांक 15.06.2017 की अधिसूचना सं. पी-45021/2/2017 बी ई-II, के तहत लोक खरीद (मेक इन इण्डिया को प्राथमिकता) जारी की है।

2. चूकि उपरोक्त संदर्भ के तहत अधिसूचित सार्वजनिक खरीद (मेक इन इण्डिया को प्राथमिकता) आदेश 2017 के अनुपालन में भारी उद्योग एंव लोक उद्यम मंत्रालय (एचआई एवं पीई) एतद् द्वारा अधिसूचित करता है कि उपरोक्त आदेश के अनुसार घरेलु स्तर पर विनिर्मित ऑटोमोबाइल तथा ऑटोमोटिव घटकों के लिए सभी सरकारी खरीद संस्थान द्वारा प्राथमिकता दी जाएगी।

3. चूकि निम्नलिखित ऑटोमोबाइल तथा ऑटोमोटिव घटकों को सार्वजनिक खरीद (मेक इन इण्डिया को प्राथमिकता) आदेश 2017 के तहत अधिसूचित किया जाता है।

3.1 आई सी इंजन आधारित ऑटोमोबाइल

(क) परिभाषाः-

इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ, ऑटोमोबाइल का तात्पर्य दो और तिपहिया वाहनों, यात्री वाहनों, वाणिज्यिक वाहनों आदि से होगा।

घरेलु स्तर पर विनिर्मित के लिए पात्रता हेतु अपेक्षित स्थानीय कंटेंट की प्रतिशत	65%

3.2 आई सी इंजन वाहनों हेतु ऑटोमोटिव घटक

(क) परिभाषाः-

इस अधिसूचना के प्रायोजनार्थ, ऑटोमोटिव घटकों का तात्पर्य दो तथा तिपहीया वाहनों, यात्री वाहनों, वाणिज्यिक वाहनों आदि के विनिर्माण/ रख-रखाव हेतु अपेक्षित घटक/पुर्जो से होगा।

घरेलु स्तर पर विनिर्मित अनुसार पात्रता के लिए अपेक्षित स्थानीय कंटेंट की प्रतिशतता	60%

4. चूकि यह अधिसूचना तत्काल प्रभावी होगी तथा 31.03.2019 के पश्चात इसकी समीक्षा की जाएगी।

5. चूकि यह अधिसूचना संशोधित अधिसूचना जारी होने तक वैध होगी।

6. **स्थानीय कंटेंट/घरेलु मूल्यवर्द्धन की गणना हेतु प्रक्रिया**

6.1 घरेलु विनिर्माताओं (डीओएम-बीओएम) से प्राप्त सामग्री के बिल की गणना की जाएगी, जो उपलब्ध डाटा पर निर्भर, निम्नलिखित में से किसी एक पर आधारित है। प्रत्येक गणना निरन्तर परिणाम देगी।

(क) सभी इनपुटों के लागत की राशि जो उत्पाद से संबंधित है (इंनपुटो की खरीद पर लगाए गए कर तथा शुल्क सहित उन्हें छोड़कर जिसके लिए ऋण/ सेट-ऑफ लिया जा सकता है) तथा जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से अथवा घरेलु व्यापारियों के माध्यम से अथवा बिचौलिये के माध्यम से आयात नही किया गया है।

(ख) उत्पाद (इनपुटों की खरीद पर लगाए गये शुल्क तथा करों सहित उन्हें छोड़कर जिनके लिए ऋण/सेट-ऑफ लिया जा सकता है) के उत्पादन में इनपुटों के रूप में उपयोग की गई (प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से) सामग्री के आयातित बिल के कर रहित राशि के पश्चात उत्पाद का लाभ रहित एक्स फैक्ट्री मुल्य वारंटी लागत से कम है।

(ग) बाजार मूल्य से कम उत्पादन पश्चात मालभाड़ा, बीमा तथा अन्य रख- रखाव लागत से कम उत्पाद (इनपुट की खरीद पर लगाए गए शूल्क तथा करो सहित, उन्हें छोड़कर जिनके लिए ऋण/ सेटऑफ लिया जा सकता है) के उत्पादन में आदानों के रुप में प्रयुक्त सामग्री के आयातित बिल की वारंटी लागत रहित राशि, बाजार मूल्य रहित माल भाड़ा, बीमा तथा अन्य रख-रखाव लागत रहित कर पश्चात लाभ, तथा विपणन खर्च से कम है।

6.2 सामग्री के कुल बिल (कुल- बीओएम) की गणना उपलब्ध डाटा पर निर्भर निम्नलिखित में से किसी एक के आधार पर की जाए। इनमें से प्रत्येक गणना निरन्तर परिणाम देगी।

(क) सभी इनपुट्स के लागत की राशि जो उत्पाद से संबंधित है (इनपुटों की खरीद पर लगाए गए शुल्क तथा करों सहित, उन्हें छोड़कर जिनके लिए ऋण/ सेट-ऑफ लिया जा सकता है।)
(ख) उत्पाद कर पश्चात लाभ रहित, वारंटी लागत रहित एक्स - फैक्टरी मूल्य

(ग) बाजार मूल्य रहित उत्पादन पश्चात माल-भाड़ा , बीमा तथा अन्य रख-रखाव लागत रहित कर पश्चात लाभ, वारंटी लागत रहित, विक्रय तथा विपणन खर्च रहित।

6.3 निम्नलिखित फार्मुले के अनुसार तैयार की गई सूचना के आधार पर घरेलु मूल्यवर्धन की प्रतिशतता की गणना की जाए।

घरेलु मुल्यवर्धन की प्रतिशतता = (डीओएम-बीओएम/ कुल- बीओएम) x 100

सिफारिश की जाती है कि आकलन करने वाली प्रत्येक एजेंसी उपरोक्त में से कम से कम दो फर्मूलों का उपयोग कर घरेलु स्थानीय कंटेंट/ मूल्यवर्धन की परिगणना करे। जिससे इस सबंध में आकलन वैध हो सके तथा यह सुनिश्चित कर सके कि दावा किया गया घरेलु मूल्यवर्धन संगत है।

7. स्थानीय कंटेंट/ घरेलु मूल्यवर्धन का प्रमाणीकरण

(क) निविदा, बोली लगाने और प्रलोभन के समय स्थानीय सप्लायर यह स्व-प्रमाणन प्रदान करेगा कि दिए गए उत्पाद न्यूनतम स्थानीय कंटेंट को पूरा करते हों तथा स्थान अथवा स्थानों का ब्यौरा भी देगा, जिस स्थान पर स्थानीय मूल्यवर्धन किया जाता है।

(ख) R.10 करोड से अधिक मूल्य हेतु खरीद के मामलें मे स्थानीय सप्लायर कंपनी (कंपनीयों के मामलें में) को सांविधिक लेखा परीक्षक अथवा लागत लेखा परीक्षक से अथवा अभ्यास करने वाले चार्टेड एकाउन्टेन्ट (कंपनीयों के अलावा सप्लायर के मामलें में) अभ्यास करने वाले लागत एकाउन्टेंट से स्थानीय कंटेट का प्रतिशत देने वाला प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।

(ग) झुठी घोषणायें सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 175 (1)(आई)(एच) के तहत सत्यानिष्ठा का उल्लंघन होंगे, जिसके लिए बोली दाता अथवा उसके उत्तराधिकारियों को सामान्य वित्तीय नियमावल के न्यम 151 (iii) के अनुसार दो वर्षो के लिए निषेध किया जा सकता है। साथ ही ऐसी अन्य कार्यवाहिया की जा सकती है, जो कानून के तहत अनुमत है।

8. भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय ऑटोमोटिव उत्पाद अधिसूचना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए नोडल मंत्रालय होगा।

(फाईल सं. 12(39)2018 - एईआई से जारी)

प्रविण अग्रवाल

(प्रविण अग्रवाल)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नं. - 23063733

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA (EXTRAORIDNARY), PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (II)]

Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises
Department of Heavy Industry
***

Udyog Bhawan, New Delhi
Dated: 18th May, 2018

NOTIFICATION

S.O. ____ Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017- Notifying Automobile and Automotive Components in furtherance of the Order

Reference: Department of Industrial Policy & Promotion (DIPP) Notification No.P-45021/2/2017-B.E.-II dated 15.06.2017

Whereas, the Government has issued Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017 vide the Department of Industrial Policy & Promotion (DIPP) Notification No.P-45021/2/2017-B.E.-II dated 15.06.2017 to encourage 'Make in India' and to promote manufacturing and production of goods and services in India with a view to enhancing income and employment.

2. Whereas, in furtherance of the Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017 notified vide reference cited above, the Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises (HI&PE) hereby notifies that preference shall be provided by all Government Procuring Entities to domestically manufactured Automobile and Automotive Components as per the aforesaid Order.

3. Whereas, following Automobile and Automotive Components are notified under the Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017:

3.1. Automobiles based on Internal Combustion Engines

Definition:

For the purpose of this Notification, Automobiles would mean two & three wheelers, passenger vehicles, commercial vehicles etc.

Percentage Local Content required to qualify as domestically manufactured	65%

3.2. Automotive Components for Internal Combustion Engine Vehicles

Definition:

For the purpose of this Notification, Automotive Components would mean components/spares required for manufacture/maintenance of two & three wheelers, passenger vehicles, commercial vehicles etc.

Percentage Local Content required to qualify as domestically manufactured	**60%**

4. Whereas, the Notification comes into effect immediately and would be reviewed after 31-03-2019.

5. Whereas, this Notification shall remain valid till a revised Notification is issued.

6. **Procedure for calculating local content/ domestic value addition**

6.1 Bill of Material sourced from domestic manufacturers (Dom-BOM) may be calculated based on one of the followings depending on data available. Each of these calculations should provide consistent result.

a. Sum of the costs of all inputs which go into the product (including duties and taxes levied on procurement of inputs except those for which credit/ set-off can be taken) and which have not been imported directly or through a domestic trader or an intermediary.

b. Ex-Factory Price of product minus profit after tax minus sum of imported Bill of Material used (directly or indirectly) as inputs in producing the product (including duties and taxes levied on procurement of inputs except those for which credit/ set-off can be taken) minus warranty costs.

c. Market price minus post-production freight, insurance and other handling costs minus profit after tax minus warranty costs minus sum of Imported Bill of Material used as inputs in producing the product (including duties and taxes levied on procurement of inputs except those for which credit / set-off can be taken) minus sales and marketing expenses.

6.2 Total Bill of Material (Total-BOM) may be calculated based on one of the following depending on data available. Each of these calculations should provide consistent result.

a. Sum of the costs of all inputs which go into the product (including duties and taxes levied on procurement of inputs except those for which credit / set-off can be taken).

b. Ex-Factory Price of product minus profit after tax, minus warranty costs.

c. Market price minus post-production freight, insurance and other handling costs minus profit after tax, minus warranty costs minus sales and marketing expenses.

6.3 The percentage of domestic value-addition may be calculated based on information furnished as per the following formula:

Percentage of domestic value-addition = (Dom–BOM/Total–BOM) x100

It is recommended that each agency assessing should calculate the domestic local content/value-addition using at least two of the above formulae so as to validate the assessments in this regard and ensure that the domestic value addition that is claimed is consistent.

7. **Verification of local content/ Domestic Value Addition**

a. The local supplier at the time of tender, bidding or solicitation shall provide self-certification that the item offered meets the minimum local content and shall give details of the location(s) at which the local value addition is made.

b. In cases of procurement for a value in excess of Rs.10 crore, the local supplier shall provide a certificate from the statutory auditor or cost auditor of the company (in the case of companies) or from a practising cost accountant or practising chartered accountant (in respect of suppliers other than companies) giving the percentage of local content.

c. False declarations will be in breach of the Code of Integrity under Rule 175(1)(i)(h) of the General Financial Rules for which a bidder or its successors can be debarred for up to two years as per Rule 151 (iii) of the General Financial Rules along with such other actions as may be permissible under law.

8. MHI&PE shall be the Nodal Ministry to monitor the implementation of the Automotive Products Notification.

(Issued from F.No. 12(39)/2018-AEI(15446))

18/5/18

(Pravin Agrawal)
Joint Secretary to Government of India
Tel.: 23063733